न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/03/2024	2024/9	05.03.2024	30.04.2024

1. रामबाबू पुत्र स्व. श्री रामजीलाल, जाति जाट, उम्र करीब... वर्ष, निवासी ग्राम खेडली पिचनोत, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर (राज०)।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र श्री हरिसिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम खेडली पिचनोत, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर (राज०)
2. तहसीलदार साहब मालाखेड़ा, जिला अलवर (राज०)

——असल रेस्पोडेन्ट

1. हुकुम पत्नी स्व. श्री रामजीलाल, जाति जाट
2. भगवानी पुत्री स्व. श्री रामजीलाल, जाति जाट
3. रामबाई पुत्री स्व. श्री रामजीलाल, जाति जाट
4. मगनी पत्नी स्व. श्री राजेश, जाति जाट
5. भारती चौधरी पुत्री स्व. श्री राजेश नाबालिग जरिये माता मगनी
6. लक्ष्मी चौधरी पुत्री स्व. श्री राजेश नाबालिग जरिये माता मगनी
7. वसुन्धरा चौधरी पुत्री स्व. श्री राजेश, जाति जाट निवासीयान ग्राम खेडली पिचनोत, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर (राज०)

—— तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा न्यायालय तहसीलदार मालाखेड़ा दिनांक 18.05.2023 बाबत नामांतकरण (विरासत) सं0 1911 वाके ग्राम खेडली पिचनोत, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर (राज०) जिसके द्वारा असल रेस्पोडेन्ट सं01 के नाम मृतक रामजीलाल का विरासत स्वीकार किया गया है, बमुराद मनसुखी उक्त आज्ञा एवं स्वीकार किये जाने अपीलान्ट।

उपस्थितः—

01. श्री राजेश कुमार गुप्ता — वकील अपीलाण्ट
02. श्री जितेन्द्र गोपालिया — रेस्पोडेन्ट संख्या 01
03. राजकीय अभिभाषक — रेस्पोडेन्ट संख्या 02

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 18.05.2024 नामान्तकरण (विरासत) संख्या 1911 वाके ग्राम खेडली पिचनोत तहसील मालाखेडा जिसके द्वारा नामान्तकरण को स्वीकार किए जाने से व्यथित होकर पेश की है जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं कि अपील हाजा पर कोर्ट फीस दो रूपये चस्पा पेश है। अपीलाधीन आज्ञा तहत अदालत तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा स्वीकार किया गया है, जिससे अपील माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा दिनांक 18.05.2023 को अपीलान्ट के पिता का विरासत इंतकाल सं0 1911 ग्राम खेडली पिचनोत, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर (राज०) मिन अपीलान्ट पीछे पीछे बालाबाला स्वीकार किया गया है, जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 16.01.2024 को हुई जबकि मिन अपीलान्ट ने इंतकालाधीन आराजी से संबंधित राजस्व रिकार्ड नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 19.01.2024 को प्राप्त हुई जिसके अवलोकन से पता लगा कि उक्त इंतकाल असल रेस्पोडेन्ट सं0 1 के नाम बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है जिस पर मिन अपीलान्ट व असल रेस्पोडेन्ट सं01 ने तहसीलदार साहब से इंतकाल में से असल रेस्पोडेन्ट सं01 का नाम तर्क करने हेतु निवेदन किया तो उन्होंने बिना आदेश के कार्यवाही करने से इंकार कर दिया। इस पकार जानकारी की तारीख से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। इसमें मिन अपीलान्ट की कोई बदयान्ति किसी प्रकार से नहीं है। आज्ञा दिनांक 18.05.2023 से जानकारी की तारीख दिनांक 16.1.2024 तक का समय धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत माफ किये जाने योग्य है कि जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। आराजी खसरा नं. 1660, 1661, 1662, 187, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1711, 1712, 1713, 1715, 1716, 1717 कुल किता 15 कुल रकबा 7.63 है0 वाके ग्राम जाटबास, तहसील मालाखेड़ा मिन अपीलान्ट के पिता रामलीलाल पुत्र ख्याली जाति जाट की कब्जे काश्त खातेदार की आराजी थी। रामजीलाल जाट का पारितवारिक सजरा निम्न है रामजीलाल पुत्र ख्याली(मृतक) — हुकमी पत्नी, रामबाबू पुत्र भगवानी पुत्री, राजेश पुत्र (मृतक) रामबाई पुत्री एवं मंगनी पत्नी राजेश (मृतक), भारती पुत्री राजेश (मृतक), लक्ष्मी पुत्री राजेश (मृतक) वसुन्धरा पुत्री राजेश (मृतक)। उपरोक्त वर्णित सजरे से श्रीमान को रोशन होगा कि रामजीलाल की पत्नी हुकमी (तरतीबी रेस्पो. सं0 1) तथा पुत्र (अपीलान्ट) पुत्रियां भगवानी (तरतीबी रेस्पो. सं0 2) व रामबाई (तरतीबी रेस्पो. सं0 3) तथा एक पुत्र राजेश था, जिसका देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान तरतीबी रेस्पो. सं0 4 लगायत 7 अर्थात पत्नी मंगनी व पुत्रियां भारती चौधरी, लक्ष्मी चौधरी व वसुन्धरा चौधरी है। मृतक रामजीलाल के एक अन्य पुत्र असल रेस्पोडेन्ट सं0 1 हुआ था जो बाल्यावस्था में ही हरी सिंह के गोद चला गया था। इस प्रकार असल रेस्पोडेन्ट सं0 1 का रामजीलाल की किसी भी प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति से कोई संबंध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं रहा और वह रामजीलाल की खातेदारी की आराजी मुतनाजा से गैरकाबिज गैरवास्ता शख्स है। असल रेस्पोडेन्ट सं0 1 के मतदाता पहचान पत्र तथा राशन कार्ड भी श्रीमान न्यायालय को रोशन होगा कि उक्त सभी दस्तावेजात में असल रेस्पोडेन्ट सं0 1 के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पिता का नाम हरीसिंह दर्ज है। असल रेस्पोडेन्ट सं0 1 के द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 2 तहसीलदार साहब मालाखेड़ा के यहां विधि विरूद्ध तरीके से मृतक रामजीलाल की आराजी की विरासत विवादित नामान्तकरण में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टा के साथ साथ स्वयं का नाम बिना किसी हक व अधिकार के खुलवाया है। जबकि रेस्पोडेन्ट सं0 1 का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है, ना ही रहा है, जो तथ्य गौर श्रीमान है। अधिनस्थ न्यायालय ने इंतकाल सं0 1911 दिनांक 18.05.2023 विधि विरुद्ध तरीक पर खिलाफ मौका व खिलाफ रिकार्ड एवं खिलाफ कानून स्वीकार किया है, जो काबिल निरस्तनीय है। उपरोक्त इंतकाल स्वीकार करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं दी और ना ही कोई नोटिस दिया तथा ना ही वारिसान की जांच की गई, तहसीलदार साहब को कानून अपीलान्टान को बुलाना चाहिए था और साक्ष्य सफाई व सुनवाई का अवसर प्रदान कर इंतकाल स्वीकार करना चाहिए था। इंतकालाधीन आराजी पर कभी भी असल रेस्पोडेन्ट सं0 1 का कोई कब्जा या काश्त नहीं रहा है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने बिल मौका रिपोर्ट तलब किये एवं बिना मौका अवलोकन किये रेस्पोडेन्ट सं0 1 से साजबाज होकर उसके नाम इंतकाल स्वीकार किया गया है, जो इंतकाल निरस्त किये जाने योग्य है, जो तथ्य काबिल गौर श्रीमान है। अन्य तथ्य श्रीमान के समक्ष मौखिक अर्ज किये जावेंगे। अतः राजस्व अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों पर गौर फरमाते हुए अपील हाजा स्वीकार फरमाते हुए अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेड़ा की आज्ञा दिनांक 18.05.2023 बाबत नामांतकरण (विरासत) सं0 1911 वाके ग्राम खेडली पिचनोत, तहसील मालाखेड़ा असल रेस्पोडेन्ट सं0 की हद तक अस्वीकार फरमाया जाकर मिन अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम स्वीकार फरमाये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे। आपकी महति कृपा होगी। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित जवाब नहीं देना चाहते हैं। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया गया। अपील में तथ्यनिहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया एवं दोनों पक्षों की वहस पर मनन किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा स्पष्ट इस तथ्य को रखा गया कि रैस्पौडेन्ट असल 01 श्री अमरसिंह जाति जाट निवासी खेडली पिचनौत तहसील मालाखेडा हरिसिंह के गोद चला गया है तो अपने प्राकृतिक पिता श्री रामजीलाल पुत्र श्री ख्याति के विरासत में तहसीलदार द्वारा नाम जोड दिया गया है जो गलत है। विरासत से उसका नाम हटाया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का मिलान किया गया तो यह पाया गया कि रैस्पौडेन्ट 01 श्री अमरसिंह गोद

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

गया या नहीं गया से संबंधित किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं है। सीधा नामान्तरकरण में से उसका नाम समाप्त करने का कोई विधिक आधार पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली पर आए तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर रेस्पोडेन्ट के आदेश दिनांक 18.05.2023 द्वारा स्वीकार किए गए नामान्तकरण संख्या 1911 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। तहसीलदार मालाखेडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2023 नामांततकरण विरासत संख्या 1911 वाके ग्राम खेडली पिचनौत तहसील मालाखेडा को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)